न्यायालय सहायक कलक्टर गडरारोड़ जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी :— श्री सुरेश कुमार प्रथम, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या — 04/2026

अनवान

1. भूराराम पुत्र मुला राम बनाम तहसीलदार गडरारोड़
2. गंगाराम पुत्र मुला राम
3. पुखराज पुत्र मुला राम
4. जमना पुत्री मुला राम
5. चेनी पुत्री मुला राम
6. लूणी पुत्री मुला राम
7. सुआ पुत्री मुला राम
8. नेनूदेवी पत्नी मुला राम

जातियान भील निवासीयान लापला

तहसील बायतु जिला बाड़मेर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :— 1. श्री कंवराज बेनीवाल वकील वादीगण।

2. राज पेरोकार

सहायक कलक्टर गडरारोड़ जिला-बाड़मेर

—:: निर्णय ::—

दिनांक :— 26/02/2026

सक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण की संयुक्त खातेदारी का खेत मौजा रामदेव नगर पटवार मण्डल रेडाणा तहसील गडरारोड़ के खेत खसरा संख्या 568/170 रकबा 12.1406 हैक्टेयर आया हुआ है। उक्त भूमि वादीगण के पिता/पति को आवंटन हुई थी। वक्त आवंटन वादीगण के पिता/पति का आम बोलचाल के नाम देशला होने के कारण तत्कालीन राजस्व अधिकारियों द्वारा आवंटन आदेश में वादीगण के पिता/पति का नाम दस्तावेज से भिन्न आम बोलचाल के नाम देशला पुत्र रूपाराम अंकित कर दिया व उसी अनुसार ही नामान्तरणकरण दायर कर दिया। वादीगण के पिता/पति के दस्तावेज यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड, बैंक खाता डायरी आदि दस्तावेजों में नाम मुला राम पुत्र रूपाराम है जो सही है। वादीगण के पिता/पति की दिनांक 30.11.2023 को मृत्यु होने के उपरान्त हल्का पटवारी को वादीगण द्वारा फौतगी नामान्तरणकरण हेतु दस्तावेज दिये जाने के पश्चात संबंधित हल्का पटवारी द्वारा राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजों में नाम भिन्नता होने के कारण नाम दुरुस्ती की जानकारी दी। वादीगण ने अपने पिता/पति का उक्त खसरे के राजस्व रेकर्ड में नाम देशला पुत्र रूपाराम के स्थान पर मुला राम पुत्र रूपाराम किये जाने हेतु निवेदन किया है।

वाद दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी तहसीलदार गडरारोड़ को जरिये नोटिस सूचित किया गया। वादीगण द्वारा वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य शपथ पत्र PW-1 से PW-7 प्रस्तुत किये। वादीगण द्वारा पत्रावली के संलग्न दस्तावेज यथा आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड, बैंक खाता डायरी में वादीगण के पिता/पति का नाम मुला राम पुत्र रूपाराम दर्ज है। वादीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादीगण अधिवक्ता द्वारा वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वादग्रस्त आराजी में वादीगण के पिता/पति का नाम दस्तावेज अनुसार शुद्ध किये जाने का निवेदन किया है।

हमने वादीगण के अधिवक्ता की बहस, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात यथा वादीगण के पिता/पति के दस्तावेज यथा आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड, बैंक खाता डायरी का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar
Date: 2026.03.19 13:09:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
गडरारोड़

Scanned with OKEN Scanner

लिहाजा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा रामदेव नगर पटवार मण्डल रेडाणा तहसील गडरारोड़ के खेत खसरा संख्या 568/170 रकबा 12.1406 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड में शेष प्रविष्टियों को यथावत रखते हुए वादीगण के पिता/पति का नाम देशला पुत्र रूपाराम के स्थान पर मुला राम पुत्र रूपाराम किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार गडरारोड़ इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में दुरस्ती करें। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर गडरारोड़, जिला-बाड़मेर

(सुरेश कुमार प्रथम)
सहायक कलक्टर
गडरारोड़

सहायक कलक्टर गडरारोड़

निर्णय आज दिनांक 26/02/2026 को सरे इजलास में सुनाया गया व मुहर अदालत के जारी किया गया।

सहायक कलक्टर
गडरारोड़

सहायक कलक्टर गडरारोड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar
Date: 2026.03.19 13:09:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner